

न्यायालय
उपखण्ड

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
समुदायिक ग्राम मोगेराम पार कारेली	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 274/2021 GCMS No. 2021/1035

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

21/11/2021 वादी श्री समुदायिक पुत्र मोगेराम
जाति पार निवासी कारेली द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत मोगेराम में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2076 पार ग्राम कारेली पटवार मण्डल कारेली के खाता नम्बर 138 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि समुदायिक ग्राम मोगेराम दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम समुदायिक ग्राम मोगेराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 5001 3575 3012 मतदाता पहचान पत्र ए/25192/537414 अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी फिरदी भू.अ.नि फिरदी एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल करार हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)



1130-1132